उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्तिभवन, विस्तार, 14- अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–983–औ0सं0/2021–118–ए0एस0/96 दिनांक 25 मार्च, 2021

ई–मेल

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं कानपुर।

विषयः– राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित संशोधित आन्दोलन नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, उ0प्र0 के **नोटिस** संख्या–98/रा0वि0प0प्रा0क0सं0उ0प्र0/आन्दोलन नोटिस (आंशिक संशो0)/2020–21 दिनांक 12.03.2021 **(प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा दिनांक 13.03.2021 से प्रस्तावित संशोधित आन्दोलन करने का नोटिस दिया गया है एवं आन्दोलन का निम्नवत् आवाहन किया गया है :–

चरण	दिनांक	कार्यक्रम
सप्तम चरण	13 मार्च 2021 से 04 अप्रैल 2021	सभी संघ सदस्यों/टैक्नीशियन कार्मिकों द्वारा पूर्व में प्रेषित/प्रस्तावित सभी अन्य आन्दोलन कार्यक्रमों को स्थगित रखते हुए दिनांक 13 मार्च 2021 से 04 अप्रैल 2021 तक विरोध स्वरूप काला फीता/काली पट्टी बाँध कर या काली शर्ट पहन कर प्रदेश सरकार की वर्तमान में जारी एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) को सफल बनाने समेत प्रदत्त अन्य समस्त विभागीय कार्यो के लिए उपलब्ध होते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रखा जायेगा।
अष्टम चरण	05 अप्रैल 2021 (प्रातः 10 बजे से) से 10 अप्रैल 2021 (प्रातः 10 बजे से)	अति आवश्यक सेवाओं एवं परिचालन व्यवस्था को बनाये रखते हुए समस्त ऊर्जा निगमों के मुख्यालय शक्ति भवन लखनऊ पर क्रमिक अनशन प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ किया जायेगा जो कि लगातार 05 दिनों तक चलता रहेगा। अष्टम चरण आन्दोलन के दौरान पड़ने वाले समस्त साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाशों के दिनों में टैक्नीशियन कार्मिकों द्वारा अति आवश्यक सेवाओं एवं परिचालन के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य कार्य नहीं किये जायेंगे।
नवम चरण	12 अप्रैल 2021 से अनिश्चितकालीन	प्रातः 10 बजे से शक्ति भवन मुख्यालय लखनऊ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी जायेगी और अति आवश्यक सेवाओं एवं उपकेन्द्र परिचालन हेतु तैनात टैक्नीशियन कर्मियों समेत समस्त टैक्नीशियन कार्मिकों/संघ सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जायेगा।

अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1173/24–पी–2–20–1(121)/04 दिनांक 03.01.2021 **(प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0 प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (8) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–148–औ0सं0/17/पाकालि/2021–159–ए/67 दिनांक 13.01.2021 **(प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है। उल्लेखनीय है कि कार्यालय समय पर उपरोक्त किसी भी प्रकार की कार्यवाही पूर्णतः अवांछनीय एवं प्रतिबन्धित है। इस पर आपके स्तर से अविलम्ब कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ताकि किसी भी प्रकार से जनता एवं विभाग का हित प्रभावित न हो सके।

आपसे अनुरोध है कि राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित संशोधित आन्दोलन के नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रिय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमशः...2../-

संख्या–983–औ0सं0 / 2021, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 / उ0प्र0 ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल, वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा ।
5. अपर सचिव–प्रथम / संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कार्य बहिष्कार की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
6. अपर सचिव–द्वितीय / तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को आन्दोलन के दृष्टिगत जिला / पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु।
8. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक (लेखा), / उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कारपोरेशन मुख्यालय / लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
11. कट फाइल।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

पत्रा संख्या.......औ.सं०-17 / पाकालि / 20

पत्रावली संख्या..........

क्रमांक..........

3242/MD/2021

2370 ... 15/03/2021

राष्ट्र हित | उद्योग हित | श्रमिक हित

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उ0प्र0

परिषादेश संख्या : 280-/SEB(A-SX-VII)-1077/59,FEB,5,1982 द्वारा मान्यता प्राप्त
(ट्रेड यूनियन एक्ट - 1926 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संख्या - 4588 दिनांक 05-05-1978)
केन्द्रीय कार्यालय : E-II/18, सेक्टर-सी, अलीगंज स्कीम, लखनऊ - 226024
पत्राचार पता : दारूद प्लाजा बेसमेंट, गोलागंज चौराहा, लखनऊ - 226018
website : www.rvppksup.org, e-mail : rvppksup@gmail.com, twitter : @RVPPKSUP,
facebook : @rvppksup.org, instagram : @RVPPKSUP, Whatsapp : +91 7017588440

पत्रांक: 98/रा.वि.प.प्रा.क.सं.उ.प्र./आन्दोलन नोटिस (आंशिक संशो.)2020-21 **दिनांक** :12/03/2021

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय
उप्र पावर कारपोरेशन लि०/
उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/
उप्र जल-विद्युत निगम लि०/
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ, (उ०प्र०) - 226001

श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय,
उप्र पावर कारपोरेशन लि०/
उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/
उप्र जल-विद्युत निगम लि०/
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ, (उ०प्र०) - 226001

विषय: मा.ऊर्जा मंत्री महोदय के द्वारा दिनांक 09 मार्च 2021 को टैक्नीशियन कार्मिकों की मांगों/समस्याओं का समाधान कराये जाने के लिए आश्वस्त किये जाने एवं प्रदेश सरकार की एकमुश्त योजना (ओ.टी.एस.) को सफल बनाने के लिए मा.ऊर्जा मंत्री महोदय के अनुरोध/अपील पर वर्तमान में जारी प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के आगामी प्रस्तावित चरणों में आंशिक संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बंध में सादर अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त ऊर्जा निगमों के अंतर्गत कार्यरत टैक्नीशियन कार्मिकों की मूलभूत मांगों एवं समस्याओं के निवारण हेतु संघ द्वारा जारी प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के षष्टम चरण में शक्ति भवन मुख्यालय लखनऊ पर दिनांक 08 मार्च को सम्पन्न एक दिवसीय विशाल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन उपरान्त दिनांक 09 मार्च को संघ प्रतिनिधियों एवं मा.ऊर्जा मंत्री महोदय के साथ वार्ता संपन्न हुयी जिसमें मा.ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा संघ के मांग-पत्र में इंगित समस्त मांगों/समस्याओं को सुना गया व उनपर विस्तार से चर्चा की गयी। मा.मंत्री महोदय द्वारा समस्त मांगों/समस्याओं पर विचारकर शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन से उनका निवारण कराये जाने हेतु संघ प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किये जाने के साथ ही प्रदेश सरकार की वर्तमान में जारी एकमुश्त समाधान योजना ओ.टी.एस. को सफल बनाने के उद्देश्य से संघ प्रतिनिधियों से प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन को समाप्त कर कार्य पर लौटने की भी अपील/अनुरोध किया गया है।

जिसके पश्चात संघ द्वारा प्रदेश सरकार की वर्तमान में जारी एकमुश्त समाधान योजना ओ.टी.एस. के सफल क्रियान्वयन व शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन के प्रति अपना रचनात्मक सहयोग करते हुए इस आशा व विश्वास के साथ पूर्व में प्रेषित आन्दोलन नोटिस पत्रांक: 40/रा.वि.प.प्रा.क.सं.उ.प्र./आन्दोलन नोटिस/ 2020-21 दिनांक :12/03/2021 द्वारा प्रस्तावित प्रांतव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के आगामी चरणों (सप्तम, अष्टम व नवम) में आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है कि मा.ऊर्जा मंत्री द्वारा संवर्ग की मांगों/ समस्याओं के अतिशीघ्र समाधान किये जाने के निर्देशों के आलोक में शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा यथासंभव यथाशीघ्र टैक्नीशियन कार्मिकों की मांगों/ समस्याओं पर सकारात्मक व गंभीरतापूर्वक विचार कर सम्बंधित आदेश जारी किए जायेंगें।

(एम० देवराज) अध्यक्ष
प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

यदि मा.ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिये गए निर्देशों के आलोक में शीर्ष प्रबन्धन द्वारा अभी भी संवर्ग की समस्याओं/ मांगों का समाधान नहीं किया जाता है तो निम्न आंशिक संशोधित आंदोलन कार्यक्रमों को पुनः चालू करना संघ की विवषता एवं बाध्यता होगी।

<u>आंशिक संशोधित आन्दोलन का कार्यक्रम</u>

चरण	दिनांक	आंशिक संशोधित आन्दोलन कार्यक्रम
सप्तम चरण	**13 मार्च 2021 से 04 अप्रेल 2021**	सभी संघ सदस्यों/ टैक्नीशियन कार्मिकों द्वारा पूर्व में प्रेषित/ प्रस्तावित सभी अन्य आन्दोलन कार्यक्रमों को स्थगित रखते हुए दिनांक 13 मार्च 2021 से 04 अप्रेल 2021 तक विरोध स्वरूप काला फीता/ काली पट्टी बांध कर या काली शर्ट पहन कर प्रदेश सरकार की वर्तमान में जारी एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) को सफल बनाने समेत प्रदत्त अन्य समस्त विभागीय कार्यों के लिए उपलब्ध होते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रखा जायेगा।
अष्टम चरण	**05 अप्रेल 2021 (प्रातः 10 बजे से) से 10 अप्रेल 2021 (प्रातः 10 बजे तक)**	अति आवश्यक सेवाओं एवं परिचालन व्यवस्था को बनाये रखते हुए समस्त उर्जा निगमों के मुख्यालय शक्ति भवन लखनऊ पर क्रमिक अनशन प्रातः10 बजे से प्रारम्भ किया जायेगा जो कि लगातार 05 दिनों तक चलता रहेगा। अष्टम चरण आन्दोलन के दौरान पड़ने वाले समस्त साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाशों के दिनों में टैक्नीशियन कार्मिकों द्वारा अति आवश्यक सेवाओं एवं परिचालन के अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य कार्य नहीं किये जायेंगें।
नवम चरण	**12 अप्रेल 2021 से अनिश्चितकालीन**	प्रातः 10 बजे से शक्ति भवन मुख्यालय लखनऊ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी जायेगी और अति आवश्यक सेवाओं एवं उपकेन्द्र परिचालन हेतु तैनात टैक्नीशियन कर्मियों समेत समस्त टैक्नीशियन कार्मिकों/ संघ सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जायेगा।

यदि किसी भी समय उपरोक्त शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले किसी भी टैक्नीशियन कर्मी/ संघ सदस्य के विरुद्ध कोई उत्पीडनात्मक/ दंडात्मक कार्यवाही प्रबंधन/ प्रशासन द्वारा की जाती है तो बिना किसी अन्य नोटिस के तत्काल प्रांतव्यापी सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार एवं जेल भरो आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

अतः श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि माननीय उर्जा मंत्री महोदय द्वारा संवर्ग की मांगों व समस्याओं के समाधान किये जाने के आश्वासन/ निर्देशों के आलोक में यथा-संभव यथा-शीघ्र संघ के मांग-पत्र पर शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता / पूर्व में सहमति के अनुरूप आदेश जारी करने की कृपा की जाये।

रचनात्मक विचार एवं सहयोग की आशा के साथ सादर प्रेषित।

मौ.वसीम
केन्द्रीय महासचिव

<u>संलग्नक: -पूर्व में प्रेषित आन्दोलन नोटिस सह मांग-पत्र</u>

पत्रांक: 98/रा.वि.प.प्रा.क.सं.उ.प्र./आन्दोलन नोटिस (आंशिक संशो.)2020-21 **दिनांक** :12/03/2021

प्रतिष्ठा में:-

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
3. माननीय श्रम मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

मौ.वसीम
केन्द्रीय महासचिव

पत्रांक: 98/रा.वि.प.प्रा.क.सं.उ.प्र./आन्दोलन नोटिस (आंशिक संशो.)2020-21 **दिनांक** :12/03/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. श्रीमान अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) महोदय, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
3. श्रीमान प्रमुख सचिव (ऊर्जा) महोदय, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
4. श्रीमान प्रमुख सचिव (गृह) महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
5. श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. श्रीमान मंडलायुक्त लखनऊ महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
7. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
8. श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ।
9. श्रीमान सब-रजिस्ट्रार महोदय, ट्रेड यूनियंस लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ।

मौ.वसीम
केन्द्रीय महासचिव

पत्रांक: 98/रा.वि.प.प्रा.क.सं.उ.प्र./आन्दोलन नोटिस (आंशिक संशो.)2020-21 **दिनांक** :12/03/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि., वाराणसी।
3. श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., मेरठ।
4. श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., लखनऊ।
5. श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि., आगरा।
6. श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय, केस्को, कानपुर।

7. श्रीमान निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.) महोदय, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि./ उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरशन लि./ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि./ उत्तर प्रदेश जल-विद्युत निगम लि., शक्ति भवन/ शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. श्रीमान निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.) महोदय, पूर्वांचल/ पश्चिमांचल/ मध्यांचल/ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि., वाराणसी/ मेरठ/ लखनऊ/ आगरा एवं केस्को कानपुर।
9. श्रीमान महाप्रबंधक (औ.सं) महोदय, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय/ महाप्रबंधन महोदय, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि./ उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरशन लि./ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि./ उत्तर प्रदेश जल-विद्युत निगम लि., उत्तर प्रदेश।
11. समस्त परिक्षेत्रीय/ परियोजना/ क्षेत्रीय/ जिला अध्यक्ष एवं सचिव महोदय, राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे सभी पदाधिकारी-गण अपने स्तर से अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त पुलिस/ प्रशासन/ प्रबन्धन/ के अधिकारी-गणों को इस आंदोलन नोटिस को संलग्न करते हुए पत्र के माध्यम से सूचित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

मौ.वसीम
केन्द्रीय महासचिव
मो.सं.7017588440

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्याः–1173/24–पी–2–20–1(121)/04
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2021

अधिसूचना
आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2– उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3– उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ, 4– उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 5– कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6– मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, 7– पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, 8– पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ और 9– दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 1173(1)/24–पी–2–20–1(121)/04, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 04.01.2021 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

..2/–

संख्याः– 1173(2)/24–पी–2–20–1(121)/04, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
2) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 लखनऊ।
4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें,
7) सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
8) विधायी अनुभाग–1
9) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
10) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
11) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
12) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
13) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ
14) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
15) गोपन अनुभाग–2 एवं ऊर्जा अनुभाग–1/3, ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

16/12/2020

UPPCL	**उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड** (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) **U.P.Power Corporation Limited** **(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)** **CIN : U32201UP1999SGC024928** शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001	

संख्या–148–औ0सं0–17/पाकालि/2021–159–ए/67 दिनाँक 13 जनवरी, 2021

उ0प्र0 शासन ऊर्जा अनुभाग–2 की अधिसूचना आदेश संख्या–1173/24–पी–2–20–1(121)/04 दिनांक 03 जनवरी, 2021 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग के निजी सचिव।
5. अपर सचिव–I/II/III/अराज0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल आगरा केस्को कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
7. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/समस्त कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड.
9. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क0सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।
15. कट फाइल।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

संख्या–148(1) औ0सं0–17/पाकालि/2021/तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त श्रम/सेवा संघों को उ0प्र0 शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित।

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी